सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2017/00215 दर्ज तिथिः– 29.09.2017

1. वर्षा कुमारी पुत्री पप्पूराम
2. भगवती पुत्री पप्पूराम
3. पूजा पुत्री पप्पूराम
4. सुमन पुत्री पप्पूराम
5. प्रमील पुत्री पप्पूराम

वादीगण नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सोहनदेवी पत्नी पप्पूराम
जाति विश्नोई निवासी शेराणियों की ढाणी, मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
.....वादी

बनाम

1. पेमाराम पुत्र हरसुखाराम
2. आसूराम पुत्र पेमाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र पेमाराम

जाति विश्नोई निवासी शेराणियों की ढाणी, मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

4. भीयाराम पुत्र हरसुखाराम
5. प्रतापाराम पुत्र फगलूराम
6. सुरजनराम पुत्र फगलूराम
7. विरधाराम पुत्र फगलूराम
8. ईसराराम पुत्र फगलूराम
9. तुलछाराम पुत्र फगलूराम
10. भारमल पुत्र फगलूराम
11. पूनमाराम पुत्र फगलूराम

जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी

12. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
13. तहसीलदार एवं उपपंजीयक, गुड़ामालानी
14. केली पुत्री पेमाराम
15. श्रवणी पुत्री पेमाराम
16. धोली पुत्री पेमाराम

कौम विश्नोई निवासी शेराणियो की ढाणी, मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री बाबूलाल
प्रतिवादीः— श्री मोहनलाल

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा संख्या 943/3/17—01 बीघा मौजा भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 373/3/46—04 बीघा खसरा संख्या 365/20—16 बीघा, खसरा संख्या 365/2/06 बिस्वा, खसरा संख्या 371/4/04—08 बीघा मौजा मौखावा, खसरा संख्या 322/167—02 बीघा भूमि मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 16 के पूर्वज प्रतिवादी संख्या 01 पेमाराम की खातेदारी आराजी है।

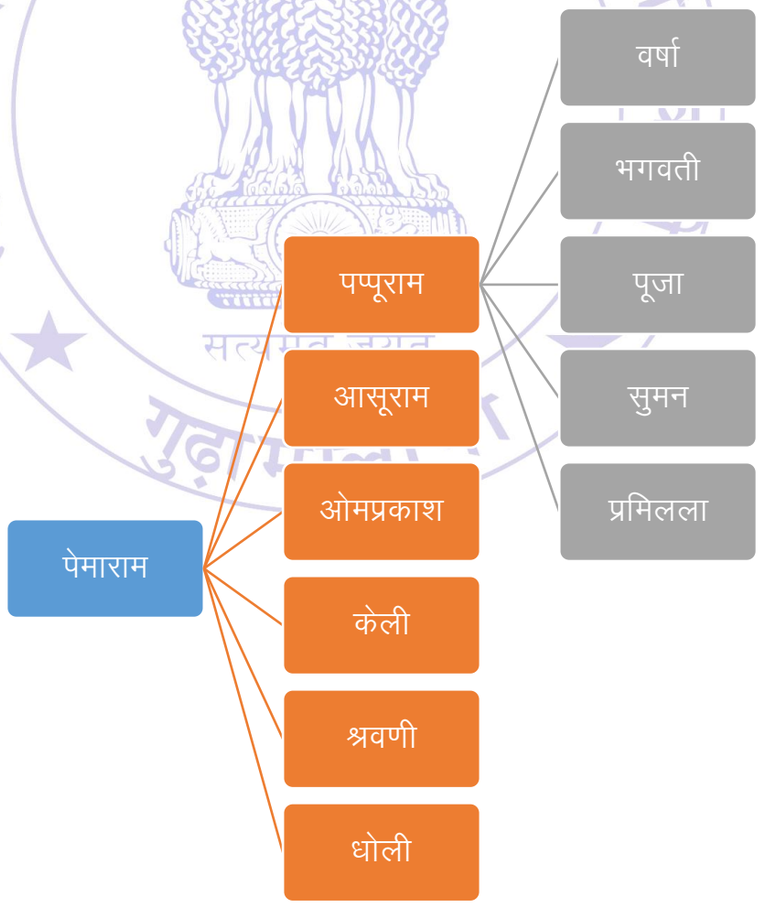

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण में मुतनाजा आराजी पक्षकारान के पुरूष पूर्वज हरसुखाराम की विरासत में प्रतिवादी संख्या 01 पेमाराम पुत्र हरसुखाराम को प्राप्त हुई। वर्तमान में मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र पप्पूराम पुत्र पेमाराम की मृत्यु के पश्चात वादीगण के उक्त मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार निहित है। क्योंकि वादीगण पप्पूराम पुत्र पेमाराम के विधिक वारिस होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिस है। वादी व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिन्दू के अंतर्गत आने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित रखते हैं। इसी अनुसार वादीगण वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त है। अतः उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादी को खसरा संख्या 943/3/17–01 बीघा मौजा भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 373/3/46–04 बीघा, खसरा संख्या 365/20–16 बीघा, खसरा संख्या 365/2/06 बिस्वा, खसरा संख्या 371/4/04–08 बीघा मौजा मौखावा में 1/7 हिस्से का तथा खसरा संख्या 322/167–02 बीघा भूमि मौजा मौखावा में 1/28 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

3. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में सभी प्रतिवादीगण के रजिस्टर्ड तामिल उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

   - आराजी खसरा संख्या 373/3/46–04 बीघा मौजा मौखावा प्रतिवादी संख्या 01 की खरीदशुदा आराजी है। इस कारण उक्त खसरे पर वादीगण का कोई हक नहीं है।
   - आराजी खसरा संख्या 943/3/17–01 बीघा मौजा भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 365/20–16 बीघा, खसरा संख्या 365/2/06 बिस्वा, खसरा संख्या 371/4/04–08 बीघा मौजा मौखावा में वादीगण का 1/7 हिस्से का तथा खसरा संख्या 322/167–02 बीघा भूमि मौजा मौखावा में वादीगण का 1/28 हिस्सा निहित है।

4. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गये।

   1. आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 के तहत पैतृक आराजी खसरा संख्या 943/3 मौजा भीलों की ढाणी, 373/3, 365, 365/2, 371 मौजा मौखावा पर 1/7 हिस्सा तथा खसरा संख्या 322 मौजा मौखावा पर 1/28 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

      .....वादीगण

   2. आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक वादवर्णित अनुतोष अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

      .....वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

3. आया वादीगण के हक प्रतिवादी द्वारा वादीगण के पिता को नगद रूप से प्रदान करने तथा वादीगण के पिता द्वारा हकतर्क करने पर वर्तमान में कोई हक नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल–ए–खारिज है।

.....प्रतिवादी

4. अन्य दादरसी

.....उभय–पक्षकारान

5. तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए–

प्रदर्श	दस्तावेज	संवत/विवरण
प्रदर्श–01	खतौनी बंदोबस्त	खाता संख्या 48 सम्वंत 2073–76 मौजा भीलों की ढाणी
प्रदर्श–02	जमाबंदी	खाता संख्या 135 सम्वंत 2071–74 मौजा मौखावा
प्रदर्श–03	जमाबंदी	खाता संख्या 136 सम्वंत 2071–74 मौजा मौखावा
प्रदर्श–04	जमाबंदी	खाता संख्या 137 सम्वंत 2071–74 मौजा मौखावा
प्रदर्श–05	पंजीकृत दानपत्र	दिनांक 19.09.2017
प्रदर्श–06	नक्शा	मौजा मौखावा

6. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

	नाम	जाति	निवासी
पी0डब्ल्यू–01	सोहनी पत्नी पप्पू	विश्नोई	शेराणियों की ढाणी, मौखावा
पी0डब्ल्यू–02	किशनाराम पुत्र ईसराराम	विश्नोई	शेराणियों की ढाणी, मौखावा

7. प्रकरण में पी0डब्ल्यू–01, पी0डब्ल्यू–02 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत करते हुए समान रूप से साक्ष्य स्वरूप निम्न प्रकार अभिवचन किये–

- मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा संख्या 943/3/17–01 बीघा मौजा भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 373/3/46–04 बीघा खसरा संख्या 365/20–16 बीघा, खसरा संख्या 365/2/06 बिस्वा, खसरा संख्या 371/4/04–08 बीघा मौजा मौखावा, खसरा संख्या 322/167–02 बीघा भूमि मौजा मौखावा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 16 के पूर्वज प्रतिवादी संख्या 01 पेमाराम की खातेदारी आराजी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

- प्रकरण में मुतनाजा आराजी पक्षकारान के पुरूष पूर्वज हरसुखाराम की विरासत में प्रतिवादी संख्या 01 पेमाराम पुत्र हरसुखाराम को प्राप्त हुई। वर्तमान में मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र पप्पूराम पुत्र पेमाराम की मृत्यु के पश्चात वादीगण के उक्त मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिकार निहित है। क्योंकि वादीगण पप्पूराम पुत्र पेमाराम के विधिक वारिस होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिस है। वादी व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिन्दू के अंतर्गत आने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित रखते हैं। इसी अनुसार वादीगण वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त है।
- अतः उक्त आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादी को खसरा संख्या 943/3/17–01 बीघा मौजा भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 373/3/46–04 बीघा, खसरा संख्या 365/20–16 बीघा, खसरा संख्या 365/2/06 बिस्वा, खसरा संख्या 371/4/04–08 बीघा मौजा मौखावा में 1/7 हिस्से का तथा खसरा संख्या 322/167–02 बीघा भूमि मौजा मौखावा में 1/28 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।
- इस संबंध में बिन्दु संख्या 05 के अनुसार प्रदर्श अंकित किये गये।

8. प्रकरण में पी0डब्ल्यू–01 सोहनी पत्नी पप्पू द्वारा साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किये है कि संख्या 1 से 3, यह कहना सही है कि प्रदर्श 02 की जमीन प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित जमीन है, अज खुद कहा कि प्रतिवादी संख्या 01 मेरे बच्चों के दादा हैं। जो वादीगण की पुस्तैनी है। यह कहना सही है कि पेमाराम के नाम की कितने खसरो में कितने बीघा जमीन है मुझे याद नहीं है। पेमा के छः टाबर है। पेमा के तीन लडका और तीन तीन लडकियां है। यह कहना सही है कि पेमा मेरे से अलग रहता है। यह कहना सही है कि प्रदर्श 05 वाद पेश करने से पूर्व आसुराम को दान कर दिया था। यह कहना सही है कि पेमाराम अपने परिवार का पालन पोषण स्वयं करता है, अज खुद कहा कि मेरा व मेरे बच्चों का मै खुद पालन पोषण करती हूं, पेमाराम नहीं करता है। यह कहना सही है कि आसूराम को दान दी गई भूमि के अलावा भी अन्य खसरे भी पेमाराम के नाम का है। यह कहना सही है कि जब मेरा पति फोत हुआ उस समय मेरा पति अलग निवास करता था। यह कहना सही है कि मेरा पति अपने पिता से अलग होते समय कोई हिस्सा लिया हो। मेरे पांच पुत्रियां हैं। यह कहना सही है कि मेरा विवाह आंटे–सांटे में हुआ है। पेमाराम की खातेदारी में वादीगण का 1/7 हिस्सा है। यह कहना सही है कि संपूर्ण रकबे की भूमि पेमे के पिता के नाम की थी। यह कहना सही है कि कुछ जमीन जरिये रजिस्ट्री कर राखी थी, अज खुद कहा कि बच्चो के दादा लिख गए।

9. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। तत्पश्चात प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

	नाम	जाति	निवासी
डी0डब्ल्यू–01	पेमाराम पुत्र हरसुखाराम	विश्नोई	शेराणियों की ढाणी, मौखावा
डी0डब्ल्यू–02	आसुराम पुत्र पेमाराम	विश्नोई	शेराणियों की ढाणी, मौखावा

10. प्रकरण में डी0डब्ल्यू–01, डी0डब्ल्यू–02 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत करते हुए समान रूप से साक्ष्य स्वरूप निम्न प्रकार अभिवचन किये–
    - आराजी खसरा संख्या 373/3/46–04 बीघा मौजा मौखावा प्रतिवादी संख्या 01 की खरीदशुदा आराजी है। इस कारण उक्त खसरे पर वादीगण का कोई हक नहीं है।
    - आराजी खसरा संख्या 943/3/17–01 बीघा मौजा भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 365/20–16 बीघा, खसरा संख्या 365/2/06 बिस्वा, खसरा संख्या 371/4/04–08 बीघा मौजा मौखावा में वादीगण का 1/7 हिस्से का तथा खसरा संख्या 322/167–02 बीघा भूमि मौजा मौखावा में वादीगण का 1/28 हिस्सा निहित है।
    - इस आधार पर वादी का दावा काबिले खारिज है।

11. प्रकरण में डी0डब्ल्यू–01 पेमाराम पुत्र हरसुखाराम द्वारा साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किये है कि मुझे वादग्रस्त खेतों के खसरा संख्या याद नहीं है। वादग्रस्त जमीन लगभग 135 बीघा होगी। वादग्रस्त जमीन कुछ बपौती है और कुछ खरीदी हुई है। कब खरीदी मुझे पता नहीं। खरीदी हुई जमीन मेरे और भीयाराम के नाम है। मेरे पहले तीन लड़के थे एक लड़का फौत हो गया अब दो लड़के है। बड़े वाले लड़के का नाम पप्पुराम था। तथा छोटे लड़को के नाम आसुराम और ओमप्रकाश है। पप्पुराम फौत हुए लगभग 9–10 साल हुए है। पप्पुराम जब फौत हुआ तब उसकी उम्र 35 वर्ष थी। पप्पु की शादी सोनड़ी गांव में की हुई थी। पप्पु के चार लड़किया है। लड़का नहीं है। पप्पू की पत्नी का नाम सोहनी है। अब लड़के अलग–अलग रह रहे हैं उक्त खरीदी हुई जमीन है जो विक्रम संवत 2023–24 में खरीदी थी। हां यह कहना सही है कि मेरे तीनों लड़कों का जन्म जमीन के वक्त खरीद से बाद में हुआ है, लड़कियों का जन्म भी जमीन के वक्त खरीद से बाद में हुआ है। हां यह कहना सही है कि मेरी सम्पूर्ण भूमि में मेरे लड़कों और लड़कियों का बराबर हक है। मौके पर सभी लड़कों का बराबर कब्जा है और लड़कियां ससुराल जा रही है अजखुद कहा की लड़कियों का भी बराबर हक है। हां यह कहना सही है कि तीनों लड़के अलग–अलग अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहै हैं। पप्पूराम के हिस्से पर उनकी पत्नी और संतानों का कब्जा है। मैने मेरे रेकर्ड व कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं।

12. प्रकरण में डी0डब्ल्यू–01 पेमाराम पुत्र हरसुखाराम द्वारा साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किये है किमुझे वादग्रस्त खेतों के खसरा संख्या याद नहीं है। वादग्रस्त जमीन लगभग 135 बीघा होगी। वादग्रस्त जमीन कुछ बपौती है और कुछ खरीदी हुई है। कब

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

खरीदी मुझे पता नहीं। खरीदी हुई जमीन मेरे और भीयाराम के नाम है। हम तीन भाई थे एक भाई पप्पूराम फौत हो गया अब हम दो भाई है। बड़े वाले भाई का नाम पप्पुराम था। पप्पुराम फौत हुए लगभग 9–10 साल हुए है। पप्पुराम जब फौत हुआ तब उसकी उम्र 35 वर्ष थी। पप्पु की शादी सोनड़ी गांव में की हुई थी। पप्पु के चार लड़किया है। लड़का नहीं है। पप्पू की पत्नी का नाम सोहनी है। अब लड़के अलग–अलग रह रहे हैं उक्त खरीदी हुई जमीन है जो विक्रम संवत 2023–24 में खरीदी थी। हां यह कहना सही है कि हम तीनों भाईयों का जन्म जमीन के वक्त खरीद से बाद में हुआ है, तथा हमारी बहिनों का जन्म भी जमीन के वक्त खरीद से बाद में हुआ है। हां यह कहना सही है कि मेरी सम्पूर्ण भूमि में हम भाईयों और बहिनों का बराबर हक है। मौके पर सभी भाईयों का बराबर कब्जा है और बहिने ससुराल जा रही है अजखुद कहा की बहिनों का भी बराबर हक है। हां यह कहना सही है कि तीनों भाई अलग–अलग अपने हिस्से अनुसार काश्त कर रहै हैं। पप्पूराम के हिस्से पर उनकी पत्नी और संतानों का कब्जा है। मैने मेरे रेकर्ड व कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं।

13. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

14. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में सर्वप्रथम तनकी संख्या 01 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 निम्न प्रकार है–

    1. आया वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 के तहत पैतृक आराजी खसरा संख्या 943/3 मौजा भीलों की ढाणी, 373/3, 365, 365/2, 371 मौजा मौखावा पर 1/7 हिस्सा तथा खसरा संख्या 322 मौजा मौखावा पर 1/28 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

    .....वादीगण

15. प्रकरण में प्रथम तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। प्रकरण में प्रतिवादी के जवाब के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादीगण पप्पूराम पुत्र पेमाराम के वारिस है। इस कथन को प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। साथ ही प्रकरण में यह भी निर्विवादित है कि आराजी खसरा संख्या 943/3/17–01 बीघा मौजा भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 365/20–16 बीघा, खसरा संख्या 365/2/06 बिस्वा, खसरा संख्या 371/4/04–08 बीघा मौजा मौखावा में वादीगण का 1/7 हिस्से का तथा खसरा संख्या 322/167–02 बीघा भूमि मौजा मौखावा में वादीगण का 1/28 हिस्सा निहित है। इस कथन को प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

16. प्रकरण में केवल विवाद इस बात पर है कि आराजी खसरा संख्या 373/3 मौजा मौखावा प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित संपत्ति है। अतः इस पर वादीगण का कोई अधिकार नहीं है। प्रकरण में आराजी खसरा संख्या 373/3 मौजा मौखावा के प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित संपत्ति की संपत्ति नहीं होने तथा पैतृक संपत्ति होने के बारे में वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा आराजी खसरा संख्या 373/3 मौजा मौखावा के प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित संपत्ति होने के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रकरण में अन्य खातेदारी आराजी के पैतृक आराजी नहीं होने के संबंध में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में कोई स्पष्ट खण्डन नहीं किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में अन्य खातेदारी आराजी पैतृक आराजी ही है। यहा उल्लेखनीय है कि कोई सहदायक अपने स्वअर्जित आराजी का अपने इच्छानुसार निस्तारण करने हेतु स्वतंत्र अधिकार रखता है। परंतु कोई सहदायक अपने पैतृक व सहदायक संपत्ति का निस्तारण सहदायको की सहमति से ही निस्तारण कर सकता है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में करीब 14–10 बीघा भूमि का दानपत्र निष्पादित करवाया है। उक्त दानपत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त दानपत्र प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित संपत्ति आराजी खसरा संख्या 373/3 मौजा मौखावा में से निष्पादित नहीं होकर अन्य पैतृक आराजी में से निष्पादित किया गया है। अतः प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में करीब 14–10 बीघा भूमि का दानपत्र बिना सहदायको की सहमति किये जाने एवं बिना सार्वजनिक प्रयोजन या धर्मार्थ प्रयोजन हेतु नहीं किये जाने के कारण विधिसंगत नहीं होने से हिन्दू विधि के तहत आरंभ से ही शून्य व अवैध होकर निष्प्रभावी है।

17. प्रकरण में अब मुतनाजा आराजी पर वादीगण के अधिकार निहित होने के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। वादी का यह अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***15. Khatedar tenants***— *(1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:*
>
> ***Provided*** *that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.*
>
> *(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.

(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.

(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:
(a) that the land held by him was let out to him after the" commencement of this Act.
(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).
(c) that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.
(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).
(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application , declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (I).

18. प्रकरण में वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के अंतर्गत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत अधिकार सृजित होने के आधार पर खातेदार के रूप में दर्ज होने का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

6. Devolution of interest in coparcenary property.—
(1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,—
(a) by birth become a coparcener in her own right the same manner as the son;
(b) have the same rights in the coparcenery property as she would have had if she had been a son;
(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenery property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:
Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

Coparcener's Right

19. इसके साथ ही सहदायिकी संपति में सहदायको के अधिकार को समझना आवश्यक है। सहदायक संपति में सहदायक (पुत्र/पौत्र/प्रपौत्र) कभी भी अपना हक निर्धारित करवाकर सहदायिकी से पृथक हो सकता है। इस संबंध में हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम–2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस प्रकार अब सहदायक संपति में सहदायक (पुत्र/पुत्री/पौत्र/प्रपौत्र) कभी भी अपना हक निर्धारित करवाकर सहदायिकी से पृथक हो सकता है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित असंख्य न्यायिक दृष्टांतों के द्वारा सहदायिकी संपति में सहदायको के अधिकार की व्याख्या की गई है। इस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांतों द्वारा की गई विवेचना का उद्धरण प्रकरण में प्रासंगिक है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *AIR 2020 SUPREME COURT 3717* बउनवान ***Vineeta Sharma vs Rakesh Sharma*** में दिनांक 11.08.2020 को दिये गये निर्णय में सहदायिकी संपति में सहदायको के अधिकार के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः–

> *63. Considering the principle of coparcenary that a person is conferred the rights in the Mitakshara coparcenary by birth, similarly, the daughter has been recognised and treated as a coparcener, with equal rights and liabilities as of that of a son. The expression used in section 6 is that she becomes coparcener in the same manner as a son. By adoption also, the status of coparcener can be conferred. The concept of uncodified Hindu law of unobstructed heritage has been given a concrete shape under the provisions of section 6(1)(a) and 6(1) (b). Coparcener right is by birth. Thus, it is not at all necessary that the father of the daughter should be living as on the date of the amendment, as she has not been conferred the rights of a coparcener by obstructed heritage. According to the Mitakshara coparcenary Hindu law, as administered which is recognised in section 6(1), it is not necessary that there should be a living, coparcener or father as on the date of the amendment to whom the daughter would succeed. The daughter would step into the coparcenary as that of a son by taking birth before or after the Act. However, daughter born before can claim these rights only with effect from the date of the amendment, i.e., 9.9.2005 with saving of past transactions as provided in the proviso to section 6(1) read with section 6(5).*
>
> *64. The effect of the amendment is that a daughter is made coparcener, with effect from the date of amendment and she can claim partition also, which is a necessary concomitant of the coparcenary. Section 6(1) recognises a joint Hindu family governed by Mitakshara law. The coparcenary must exist on 9.9.2005 to enable the daughter of a coparcener to enjoy rights conferred on her. As the right is by birth and not by dint of inheritance, it is irrelevant that a coparcener*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

whose daughter is conferred with the rights is alive or not. Conferral is not based on the death of a father or other coparcener. In case living coparcener dies after 9.9.2005, inheritance is not by survivorship but by intestate or testamentary succession as provided in substituted section 6(3).

xxx

66. As per the Mitakshara law, no coparcener has any fixed share. It keeps on fluctuating by birth or by death. It is the said principle of administration of Mitakshara coparcenary carried forward in statutory provisions of section 6. Even if a coparcener had left behind female heir of Class I or a male claiming through such female Class I heir, there is no disruption of coparcenary by statutory fiction of partition. Fiction is only for ascertaining the share of a deceased coparcener, which would be allotted to him as and when actual partition takes place. The deemed fiction of partition is for that limited purpose. The classic Shastric Hindu law excluded the daughter from being coparcener, which injustice has now been done away with by amending the provisions in consonance with the spirit of the Constitution.

67. There can be a sole surviving coparcener in a given case the property held by him is treated individual property till a son is born. In case there is a widow or daughter also, it would be treated as joint family property. If the son is adopted, he will become a coparcener. An adoption by a widow of a deceased coparcener related to the date of her husband's death, subject to saving the alienations made in the intermittent period.

xxx

79. The right to claim partition is a significant basic feature of the coparcenary, and a coparcener is one who can claim partition. The daughter has now become entitled to claim partition of coparcenary w.e.f. 9.9.2005, which is a vital change brought about by the statute. A coparcener enjoys the right to seek severance of status. Under section 6(1) and 6(2), the rights of a daughter are pari passu with a son. In the eventuality of a partition, apart from sons and daughters, the wife of the coparcener is also entitled to an equal share. The right of the wife of a coparcener to claim her right in property is in no way taken away.

xxx

129. Resultantly, we answer the reference as under:

(i) The provisions contained in substituted Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 confer status of coparcener on the daughter born before or after amendment in the same manner as son with same rights and liabilities.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

(ii) The rights can be claimed by the daughter born earlier with effect from 9.9.2005 with savings as provided in Section 6(1) as to the disposition or alienation, partition or testamentary disposition which had taken place before 20th day of December, 2004.

(iii) Since the right in coparcenary is by birth, it is not necessary that father coparcener should be living as on 9.9.2005.

(iv) The statutory fiction of partition created by proviso to Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 as originally enacted did not bring about the actual partition or disruption of coparcenary. The fiction was only for the purpose of ascertaining share of deceased coparcener when he was survived by a female heir, of ClassI as specified in the Schedule to the Act of 1956 or male relative of such female. The provisions of the substituted Section 6 are required to be given full effect. Notwithstanding that a preliminary decree has been passed the daughters are to be given share in coparcenary equal to that of a son in pending proceedings for final decree or in an appeal.

(v) In view of the rigor of provisions of Explanation to Section 6(5) of the Act of 1956, a plea of oral partition cannot be accepted as the statutory recognised mode of partition effected by a deed of partition duly registered under the provisions of the Registration Act, 1908 or effected by a decree of a court. However, in exceptional cases where plea of oral partition is supported by public documents and partition is finally evinced in the same manner as if it had been affected by a decree of a court, it may be accepted. A plea of partition based on oral evidence alone cannot be accepted and to be rejected outrightly.

20. उक्त उद्धरण अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष की संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अनुसार पुत्र व पुत्री को समान अधिकार व दायित्व दिये जाने के प्रावधान है। प्रकरण में तथ्य निर्विवादित है कि वादी व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी है। साथ ही प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र पपूराम के विधिक वारिस हैं।

21. प्रकरण में वादी द्वारा मुतनाजा आराजी पर वादी व प्रतिवादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों के तहत मुताबिक कानूनी हिस्सा खातेदारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के तहत वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र पपूराम के विधिक वारिस होने तथा प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादी का अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार वादी के उक्त दावे को प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। इस प्रकार वादीगण उक्त तनकी संख्या 01 को साबित करने में सफल रहे है। अतः तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

22. प्रकरण में अब तनकी संख्या 02 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 02 निम्न प्रकार है–

> 2. आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक वादवर्णित अनुतोष अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।
>
> .....वादीगण

23. प्रकरण में प्रथम तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। प्रकरण में यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
>
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

24. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

25. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का तनकी संख्या 01 स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। इस प्रकार अगर वादी की खातेदारी व पृथक खाता में दर्ज कब्जेसुदा आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो निश्चित ही वादी के खातेदारी अधिकारों को क्षति उत्पन्न होगी व न्यायिक कार्यवाहियों की बहुलता उत्पन्न होना प्रबल संभावित है। अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी का विधिक विभाजन करवाने के पश्चात स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

26. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि मुतनाजा खातेदारी आराजी खसरा संख्या 943/3/17–01 बीघा मौजा भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 365/20–16 बीघा, खसरा संख्या 365/2/06 बिस्वा, खसरा संख्या 371/4/04–08 बीघा मौजा मौखावा में वादीगण का 1/7 हिस्से का तथा खसरा संख्या 322/167–02 बीघा भूमि मौजा मौखावा में वादीगण का 1/28 हिस्सा घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार करते हुए डिक्री किया जाकर आराजी खसरा संख्या 943/3/17–01 बीघा मौजा भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 365/20–16 बीघा, खसरा संख्या 365/2/06 बिस्वा, खसरा संख्या 371/4/04–08 बीघा मौजा मौखावा में वादीगण को 1/7 हिस्से का तथा खसरा संख्या 322/167–02 बीघा भूमि मौजा मौखावा में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण को 1/28 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्तानुसार घोषित आराजी पर आमदरफत में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करने, किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने, वादीगण को बेदखल नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 29.09.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2017/00215 दर्ज तिथिः– 29.09.2017

1. वर्षा कुमारी पुत्री पप्पूराम
2. भगवती पुत्री पप्पूराम
3. पूजा पुत्री पप्पूराम
4. सुमन पुत्री पप्पूराम
5. प्रमील पुत्री पप्पूराम

वादीगण नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता सोहनदेवी पत्नी पप्पूराम
जाति विश्नोई निवासी शेराणियों की ढाणी, मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
.....वादी

बनाम

1. पेमाराम पुत्र हरसुखाराम
2. आसूराम पुत्र पेमाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र पेमाराम

जाति विश्नोई निवासी शेराणियों की ढाणी, मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

4. भीयाराम पुत्र हरसुखाराम
5. प्रतापाराम पुत्र फगलूराम
6. सुरजनराम पुत्र फगलूराम
7. विरधाराम पुत्र फगलूराम
8. ईसराराम पुत्र फगलूराम
9. तुलछाराम पुत्र फगलूराम
10. भारमल पुत्र फगलूराम
11. पूनमाराम पुत्र फगलूराम

जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी

12. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
13. तहसीलदार एवं उपपंजीयक, गुड़ामालानी
14. केली पुत्री पेमाराम
15. श्रवणी पुत्री पेमाराम
16. धोली पुत्री पेमाराम

कौम विश्नोई निवासी शेराणियो की ढाणी, मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री बाबूलाल
प्रतिवादीः— मोहनलाल

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क स्वीकार करते हुए डिक्री किया जाकर आराजी खसरा संख्या 943/3/17—01 बीघा मौजा भीलों की ढाणी, खसरा संख्या 365/20—16 बीघा, खसरा संख्या 365/2/06 बिस्वा, खसरा संख्या 371/4/04—08 बीघा मौजा मौखावा में वादीगण को 1/7 हिस्से का तथा खसरा संख्या 322/167—02 बीघा भूमि मौजा मौखावा में वादीगण को 1/28 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्तानुसार घोषित आराजी पर आमदरफत में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करने, किसी प्रकार का निर्माण नहीं करने, वादीगण को बेदखल नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.10.24 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested